भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3230**

**23 मार्च, 2018 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य**

**3230. श्री के॰ रहमान खानः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के लिए कुल मिलाकर 23 कृषि फसलों को शामिल करने का विचार रखती है, यदि हां, तो यह प्रस्तावित फसलें कौन-कौन सी है;

(ख) क्या सरकार ने इन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने हेतु कोई बजटीय प्रावधन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार किस तरह से इन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने का विचार रखती है?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)**

(क) सरकार, कृषि लागत और मूल्‍य आयोग (सीएसीपी) की सिफ़ारिशों के आधार पर संबंधित राज्‍य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों और अन्‍य संगत कारकों पर विचार करके 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य तथा गन्‍ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्‍य (एफआरपी) की घोषणा करती है। अधिदेशित फसलों में से 14 खरीफ फसलें है अर्थात धान, ज्‍वार, बाजरा, मक्‍का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, छिल्‍के सहित मूंगफली, सोयाबीन, सुरजमुखी, तिल, रामतिल और कपास; 6 रबी फसलें हैं अर्थात गेहूं, जौ, चना, लेंटील (मसूर), रेपशीड/सरसों के बीज और कुसुम्‍भ तथा दो अन्‍य वाणिज्‍यिक फसलें हैं अर्थात पटसन एवं कोपरा। इसके अतिरिक्‍त, तोरिया एवं छिलका रहित नारियल के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य का निर्धारण भी क्रमश: रेपसीड/सरसों तथा कोपरा के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों के आधार पर किया जाता है।

(ख) और (ग) सरकार ने राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 2018-19 हेतु खाद्यान्‍न लेन-देन के संबंध में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्‍य खरीद एजेन्‍सियों को सब्‍सिडी भुगतान (खाद्य सब्‍सिडी) के लिए 1,38,123 करोड़ रूपए का बजट आवंटन किया है। राज्‍य सरकारों को भी एनएफएसए के तहत खाद्यान्‍नों की विकेन्‍द्रीकृत खरीद (डीसीपी) के संबंध में 31,000 करोड़ रूपए की सब्‍सिडी का आवंटन किया गया है।

सरकार द्वारा घोषित न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर केन्‍द्रीय नोडल एजेन्‍सियों के माध्‍यम से तिलहन, दलहन और कपास की खरीद के लिए सरकार मूल्‍य समर्थन योजना (पीएसएस) का कार्यान्‍वयन करती है। इस योजना का कार्यान्‍वयन संबंधित राज्‍य सरकार के अनुरोध पर किया जाता है जो खरीदे गये जिन्‍सों को मंडी कर और अन्‍य राज्‍य शुल्‍कों की वसूली से छूट देने पर सहमत होते हैं। मूल्‍य समर्थन योजना का मूलभूत उद्देश्‍य उच्‍चतर निवेश और उत्‍पादन को प्रोत्‍साहित करने की दृष्‍टि से उत्‍पादकों को उनके उत्‍पाद के लिए लाभकारी मूल्‍य उपलब्‍ध कराना और कम मध्‍यस्‍थता लागत के साथ उचित मूल्‍य पर आपूर्ति उपलब्‍ध कराते हुए उपभोक्‍ताओं के हितों की सुरक्षा करना है। केन्‍द्रीय एजेन्‍सियों को हुई हानि, यदि हुई है तो, की प्रतिपूर्ति, “खाते में भुगतान” के रूप में अनुमानित हानि के 90 प्रतिशत तक, के लिए केन्‍द्रीय सरकार उत्‍तरदायी होती है। केन्‍द्रीय एजेन्‍सियों को शेष 10 प्रतिशत हानि का भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा लेखा बहियों की समीक्षा के पश्‍चात किया जाता है। इस योजना के तहत, हानि की प्रतिपूर्ति के लिए 2018-19 हेतु 200 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है।

\*\*\*\*\*